इस वाद का प्रारंभ आवेदक–श्री भागवत प्रसाद शर्मा, पिता–स्व0 गोविन्द प्रसाद शर्मा, सा0–बगानपाड़ा, थाना–पाकुड़ नगर, जिला–पाकुड़, झारखंड द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से प्राप्त अंचल अधिकारी, पाकुड़ के दाखिल–खारिज संख्या–4761R27/2018–2019 में दिनांक:–01.06.2019 में पारित आदेश से क्षुब्ध होकर दायर अभ्यावेदन पर प्रारंभ की गई।

विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से श्री भागवत प्रसाद शर्मा के द्वारा विपक्षी मो0 शाहिद एकवाल, पिता–स्व0 नुरूल हक, सा0–हरिणडांगा बाजार (गॉधी चौक), पाकुड़, थाना–पाकुड़ नगर, जिला–पाकुड़, राज्य–झारखंड पर गलत/फर्जी तरीके से मौजा–पाकुड़, थाना संख्या–128, खाता संख्या–520, दाग संख्या–1498 रकवा–00वी0–01क0–00धु0 (1.65 डिसमील) का नामांतरण कराने का आरोप है।

श्री शर्मा के द्वारा आरोप लगाया गया है कि मौजा–पाकुड़, थाना सं0–128, खाता सं0–520, दाग सं0–1498 रकवा–00वी0–01क0–00धु0 (1.65 डिसमील) भुमि निबंधित केवाला सं0–1082, दिनांक–16.04.2003 के द्वारा क्रय करने के उपरान्त पुनः इसे निवंधित केवाला सं0–3109, दिनांक–09.07.2004 के द्वारा रद्द किया गया है। इस हेतु साक्ष्य के रूप में श्री शर्मा द्वारा दोनों निवंधित केवाला की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई है, जो अभिलेखवद्ध है।

इस पर न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को दाखिल–खारिज अपील वाद सं0–08/2019–20 के आलोक में नोटिस/सूचना निर्गत किया गया। साथ ही मूल अभिलेख प्राप्त करने हेतु अंचल अधिकारी, पाकुड़ को कार्यालय पत्रांक–335/भू0सु0, दिनांक–21.09.2019 निर्गत किया गया।

शाहिद इकवाल के लिए निर्गत नोटिस के आलोक में दानिश इकबाल, पिता–शाहिद इकवाल के द्वारा जवाब दाखिल किया गया, जिसमें दानिश इकबाल के द्वारा उल्लेख किया गया कि मेरे पिता शाहिद इकबाल मानसिक रूप से अस्वस्थ रहने के कारण घर से लापता है, जिसकी सूचना स्थानीय थाना में भी दिया गया है। इनके द्वारा थाना में दिये गये सूचना की छायाप्रति भी उपलब्ध कराया गया है।

अंचल अधिकारी, पाकुड़ को निर्गत पत्र के आलोक में अंचल अधिकारी, पाकुड़ के द्वारा पत्रांक–932/रा0, दिनांक–25.06.2020 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। जॉच प्रतिवेदन के उल्लेख किया गया है कि :–

1. मौजा–पाकुड़ अंचल अर्न्तगत खाता सं0–520, दाग सं0–1498, रकवा 04वी0–06क0–10धु0 भूमि खतियान में किशोरी लाल भगत के नाम से दर्ज है।
2. मौजा–पाकुड़ अंचल अर्न्तगत के खाता सं0–520, दाग सं0–1498, रकवा–00वी0–06क0–11धु0 हो0 सं0–8468, पंजी II में भगवत प्रसाद शर्मा, पिता–गोविन्द प्रसाद शर्मा के नाम से दर्ज है।
3. शाहिद इकवाल, पिता–नुरूल हक, सा0–हरिणडांगा बाजार पाकुड़ के द्वारा ऑनलाईन नामांतरण हेतु आवेदन नामांतरण वाद सं0–2600/2018–19, 4761/2018–19, 4791/2018–19 एवं 4792/2018–19 द्वारा दी गई आवेदन का नामांतरण वाद संख्या के माध्यम से शाहीद इकवाल के नाम से नामांतरण निष्पादित हैं।
4. अंचल अधिकारी, पाकुड़ के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त दस्तावेज (अर्थात् रद्द हेतु निबंधित केवाला सं0–3109, दिनांक–09.07.2004) को गौण रख कर शाहिद इकबाल द्वारा सच्ची प्रतिलिपि दस्तावेज निकाल कर नामांतरण निष्पादित कराया गया है।

2/9/22

(14)

इस वाद में दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत के उपरान्त विपक्षी शाहिद इकवाल के पुत्र दानिश इकवाल के द्वारा संबंधित भूमि के संबंध में ना कोई दस्तावेज उपलब्ध कराया गया और ना ही कोई तार्किक रूप से सही जबाव प्रस्तुत किया गया।

अतः अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा पत्रांक–932/रा0, दिनांक–25.06.2020 से प्राप्त प्रतिवेदन एवं दानिश इकबाल, पिता–शाहिद इकवाल के द्वारा सुनवाई के क्रम में भूमि से संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नही कराने और ना ही कोई तार्किक रूप से सही जबाव प्रस्तुत के कारण श्री भागवत प्रसाद शर्मा, पिता–स्व0 गोविन्द प्रसाद शर्मा, सा0–बगानपाड़ा, थाना–पाकुड़ नगर, जिला–पाकुड़, झारखंड द्वारा विपक्षी मो0 शाहिद एकबाल, पिता–स्व0 नुरूल हक, सा0–हरिणडांगा बाजार (गॉधी चौक), पाकुड़, थाना–पाकुड़ नगर, जिला–पाकुड़, झारखंड पर गलत/फर्जी तरीके से मौजा–पाकुड़, थाना सं0–128, खाता सं0–520, दाग सं0–1498, रकवा–00बी0–01क0–00धु0 (1.65 डिसमील) का नामांतरण कराने के आरोप को सही मानते हुए नामांतरण वाद संख्या–4761R27/2018–2019, दिनांकः–16.04.2019 में अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाता है।

अंचल अधिकारी, पाकुड़ तद्नुसार अभिलेख में आवश्यक संशोधन करते हुए कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
पाकुड़।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
पाकुड़।

Digitally signed by HARI BANSH PANDIT
Date: 2023.03.11 13:09:04 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:50:3a01:62dc:ce87